दिनांक 31.03.2016 को जिलाधिकारी शाहजहाँपुर की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 31.03.2016 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सम्बन्ध मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसील सदर के के समस्त उचित दर विक्रेतओ की बैठक आयोजित की गयी जिसमे मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी तिलहर, उपजिलाधिकारी पुवायॉ, उपजिलाधिकारी जलालाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहॉपुर, समस्त थोक मिट्टी तेल विक्रेता जनपद शाहजहाँपुर, समस्त पूर्ति निरीक्षक, समस्त पूर्ति लिपिक, जिला प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम एवं समस्त केन्द्र प्रभारी उ0प्र0 राज्य खाद्य निगम एवं ब्लाक भावलखेडा, कांट, ददरौल, मदनापुर एवं नगर शाहजहॉपुर के उचित दर विक्रेताओ द्वारा भाग लिया गया। उक्त बैठक मे निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये गयेः–

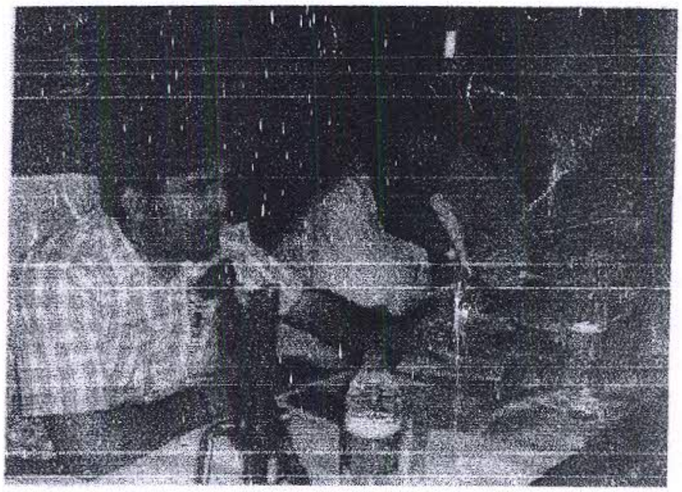

1. ऐसे उचित दर विक्रेता जो बैठक उपस्थित नही हुए है उनसे स्पष्टीकरण मॉगा जाये।

   (कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी)

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत अच्छादित होने वाली पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध हो इस हेतु यह आवश्यक है कि पात्रो का सही चयन किया जाये तथा खाद्यान्न का सही मात्रा व मूल्य पर वितरण किया जाये।

   (कार्यवाही उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

3. बैठक मे उचित दर विक्रेताओ से यह पूछा गया क्या उन्हे आवंटन के अनुरूप निर्धारित मात्रा मूल्य व वजन मे खााद्यान्न व मि0तेल मिलता है अथवा नही।

   (कार्यवाही उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/एफ0एस0सी0)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित चयनित किये गये पात्र गृहस्थियों में डाटा को सही करने हेतु एपिक नम्बर आधार कार्ड,मो0नम्बर व बैक पासबुक का सलग्न किया जाना अनिवार्य है इस सम्बन्ध मे उचित दर विक्रेताओ से वाछित पत्रो को सकलित कर कार्यालय मे उपलब्ध कराने हेतु उचित दर विक्रेताओ से सहयोग की अपेक्षा की गयी तथा उक्त कार्य 10 दिन के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राप्त डाटा को अपडेट करने हेतु 10 दिन का समय जिला पूर्ति अधिकारी को दिया गया। साथ ही उचित दर विक्रेतओ को यह भी निर्देश दिये गये अपने उचित दर की दुकान की सूची से अपात्रो के नाम हटवाने हेतु पर्यवेक्षणीय अधिकारी/सत्यापन अधिकारी का सहयोग करेगें। सत्यापन कार्य हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहॉ सत्यापन अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिये गये। ग्रामीण क्षेत्रो में यह कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल/चकबन्दी लेखपाल/सहायक चकबन्दी अधिकारी/किसान सहायक/अवर अभियन्ता/नायाब तहसीलदार/रोजगार सेवक तथा नगरीय क्षेत्रो मे नगर पालिका परिषद के कमचारियों से कराया जाये।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ड्यूटी अद्योहस्ताक्षरी की ओर से लगाई जायेगी)

5. माह जनवरी व फरवरी 2016 के वितरण की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी,सदर की सयुक्त टीम गठित कर उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न की सही मात्रा में प्राप्त होने व मिट्टी तेल के वितरण की जांच करायी जाये।

(कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी, शाहजहाँपुर)

6. बैठक में उपस्थित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से शत्--प्रतिशत कराया जाये।

(कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी/उपजिलाधिकारी/पूर्ति निरीक्षक)

7. मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपजिलाधिकारी सदर/पुवायाँ/तिलहर/जलालाबाद को निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक माह में एक पेट्रोल पम्प, एक खाद्यान्न गोदाम एवं एक थोक मिट्टी तेल विक्रेता व एक गैस एजेन्सी का निरीक्षण/जॉच कर आख्या जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे।

(कार्यवाही ए0डी0एम0 (प्रशासन)/(वि0/रा0)/ जिला पूर्ति अधिकारी)

8. आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ निर्धारित मूल्य एवं मात्रा पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में कराया जायेगा। वितरण हेतु कैम्प की निर्धारित तिथियाँ माह की 05, 08, 11 व 14 रहेंगी।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

9. पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की सम्बन्धित ग्राम पंचायतो में उपस्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण की आकस्मिक चेकिंग हेतु न्याय पंचायत/वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायें, जिनका यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित तिथियों पर भ्रमण करके आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

10. जिला पूर्ति अधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारियो को निर्देश जाते है कि वह अपनी तहसीलो में रिक्त उचित दर दुकानों की समीक्षा करें तथा नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से प्रस्ताव कराकर रिक्तियों को एक माह में समाप्त करें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी)

11. ग्रामीण क्षेत्र के राशनकार्ड धारको की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त ग्रामीण क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओ, जनपद शाहजहाँपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी-अपनी दुकाने प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 तक माह की प्रथम तारीख से माह के अन्त तक अनिवार्य रूप से खोलकर वितरण करेंगे। तथा शहरी क्षेत्र के उचित दर विक्रेता पूर्व निर्धारित समयानुसार ही दुकान खोलेंगे।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

12. जिला प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम शाहजहाँपुर को निर्देश दिये गये कि वह उचित दर विक्रेताओं की सुविधा के लिए डोर स्टेप डिलीवरी तत्काल लागू करें तथा परिवहन सम्बन्धी पत्रावलियाँ मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत करें।

(मुख्य विकास अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

13. ब्लॉक गोदाम प्रभारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एफ0सी0आई0 शाहजहाँपुर से प्रत्येक गाड़ी पर 3कु0 से 5कु0 खाद्यान्न कम मिलता है जिस कारण विक्रेताओं को कम खाद्यान्न प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में गोदाम प्रभारियो को निर्देश दिये जाते है कि वह गाड़ी के उठान के समय यदि खाद्यान्न कम हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को दूरभाष/लिखित माध्यम से उपलब्ध करायें। जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

14. गोदाम प्रभारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रबन्धक एफ0सी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि वह जनपद के ब्लॉक गोदामो पर आवंटन के सापेक्ष शत्-प्रतिशत खाद्यान्न सही बजन में प्रेषण करें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

15. जिला प्रबन्धक एस0एफ0सी0 को निर्देश दिये जाते है कि वह पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत निर्गत होने वाले खाद्यान्न की गाड़ियो में निर्धारित रंग व बैनर लगाकर ही खाद्यान्न का संचरण करें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

16. जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह राशनकार्ड प्रारुप की प्रतियाँ प्रत्येक कार्डधारक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी)

17. एन0एफ0एस0ए0 के डाटा में आधार फीडिंग की समीक्षा की गयी जिसमें बहुत ही कम संख्या में आधार सीडिंग पायी गयी। इस स्थिति पर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह 15 दिवस के अन्दर आधार सीडिंग करायें, और यदि कम्प्यूटर ऑपरेटरों की और आवश्यकता हो तो संख्या बढ़ा लें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

18. उपस्थित उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिये गये कि वे अपने अभिलेख अध्यावधिक रखे। रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, सूचना पट् प्रदर्शित रखे। पात्र गृहस्थियों की सूची दुकान के पृष्ठ भाग पर चस्पा करें। वितरण से पूर्व गाँव में मुनादी करायें।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक)

19. उचित दर विक्रेता/थोक मिट्टी तेल विक्रेता/गोदाम प्रभारी/गैस एजेन्सी के यहाँ यदि जाँच के समय गंभीर अनियमितताएँ पायी जाये तो जाँच अधिकारी द्वारा तत्काल जाँच आख्या तैयार करके वैधानिक कार्यवाही किये जाने के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)

20. अन्त में उचित दर विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी को कोई समस्या है या उनका किसी भी स्तर पर शोषण होता है तो वे अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करा सकते है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः 456 /जि0पू0अ0/एन0एफ0एस0ए0/बैठक/2016 दिनांकः 16/04/16

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4. मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
5. अपर जिलाधिकारी वि0रा0/प्रशासन, शाहजहाँपुर।
6. उपायुक्त खाद्य, बरेली मण्डल, बरेली।
7. समस्त उपजिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
8. जिला पूर्ति अधिकारी, शाहजहाँपुर।
9. समस्त तहसीलदार, शाहजहाँपुर।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
11. समस्त केन्द्र प्रभारी, एस0एफ0सी0, शाहजहाँपुर।
12. जिला प्रबन्धक एफ0सी0आई0, शाहजहाँपुर।
13. जिला प्रबन्ध एस0एफ0सी0, शाहजहाँपुर।
14. समस्त थोक मिट्टी तेल विक्रेता, शाहजहाँपुर।
15. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0 शाहजहाँपुर।

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

Yadav